महत्वपूर्ण

संख्याः 744 /अड़तीस–5–2015–01सम/2015

प्रेषक,

राम बहादुर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनॉक 29 जून, 2015

विषयः– "मुख्यमंत्री जल बचाओ अभियान" योजना का कियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–242/ अड़तीस–5–2015–01सम/ 2015, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से "मुख्यमंत्री जल बचाओ अभियान" योजनान्तर्गत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

2– "मुख्यमंत्री जल बचाओ अभियान" योजना का कियान्वयन किये जाने विषयक शासनादेश दिनांक 06 अप्रैल, 2015 की अपेक्षानुसार 01 हैक्टेयर से बड़े आकार के तालाबों को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत सस्टेनविलिटी मद से इनलेट तथा तालाबों की खुदाई का कार्य कराये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–615/अड़तीस–5– 2015 दिनांक 10 जून, 2015 के माध्यम से लघु सिंचाई विभाग, यू0पी0 प्रोजेक्ट कार्पो0 लि0 एवं उत्तर प्रदेश जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

3– कतिपय जनपदों द्वारा "मुख्यमंत्री जल बचाओ अभियान" योजना के अन्तर्गत 01 हैक्टेयर से बड़े आकार के तालाबों के इनलेट तथा खुदाई के कार्य हेतु उपर्युक्त सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10 जून, 2015 के माध्यम से नामित कार्यदायी संस्थाओं से न कराकर अन्य कार्यदायी संस्थाओं से विस्तृत परियोजना तैयार कराते हुए शासन को सन्दर्भित की जा रही हैं।

4– कृपया "मुख्यमंत्री जल बचाओ अभियान" योजना के अन्तर्गत 01 हैक्टेयर से बड़े आकार के तालाबों के इनलेट तथा खुदाई के कार्य हेतु उपर्युक्त सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10 जून, 2015 द्वारा नामित कार्यदायी संस्थाओं से ही कार्ययोजना तैयार कराकर जिला स्तरीय टेक्निकल को–आर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति से प्राक्कलनों/डिजाइन का परीक्षण कराया जाय। तदुपरान्त ग्रामीण पेयजल से सम्बन्धित राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति (एस0एल0एस0एस0सी0) से अनुमोदन के बाद शासन से कार्ययोजना की स्वीकृति आदेश निर्गत होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराये जायें। सुलभ सन्दर्भ हेतु तालाबों के निर्माण हेतु प्राक्कलन विरचन से सम्बन्धित आवश्यक दिशा–निर्देश संलग्न किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

29.6.15

(**राम बहादुर**)
सचिव।

D:\Mahesh Joshi\G. k.S\GO-2015.docx

संख्या- 744(1)/अड़तीस-5-2015 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
5. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लि0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनु सचिव।

D:\Mahesh Joshi\G. k S\GO-2015.docx

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
6 सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ 226001
फोन : 91-522-4033444
फैक्स 91-522-2237709

पत्रांक: 539/W-335/Tech/pond/15 दिनांक: 12 जून, 2015

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक,
यू0पी0 प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लि0,
लखनऊ

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
लखनऊ।

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के सस्टेनेबिलिटी मद में विभिन्न संस्थाओं द्वारा तालाब निर्माण के लिए प्राक्कलन विरचन हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–539/W-335/Tech/15 दिनांक 12 जून, 2015 का संदर्भ ग्रहण करें। इस क्रम में दिनांक 16.06.2015 को अधोहस्ताक्षरी के अध्यक्षता में इस विषय पर श्री सी0के0 त्यागी, मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, श्री पी0आर0 चौरसिया, मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग तथा श्री पी0के0 पाण्डेय, महाप्रबन्धक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लि0 के साथ विस्तृत विचार–विमर्श किया गया तथा राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के सस्टेनेबिलिटी मद में विभिन्न संस्थाओं द्वारा तालाब निर्माण के लिए प्राक्कलन विरचन हेतु दिशा–निर्देश तैयार किये गये।

अतः उक्त दिशा–निर्देश संलग्न करते हुए आपको इस आशय के साथ प्रेषित किये जा रहें है कि तालाब निर्माण हेतु प्राक्कलन विरचन के समय उक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जाए।

भवदीय,

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

22/6/15

(राम बहादुर)
अधिशासी निदेशक

प्रतिलिपिः

संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ।

अधिशासी निदेशक

D:\APARNA 1.5.15\Technical\S N Mishra ji\Lt-jal nigam.docx

तालाबों का प्राक्कलन विरचित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

1. तालाब के प्रस्ताव अतिदोहित/क्रिटिकल विकासखण्डों के होने चाहिये तथा स्थल से सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित डी0सी0सी0 से अनुमोदित होना चाहिए।
2. कैचमेन्ट एरिया की गणना कन्टूर प्लॉन से करके योजना में संलग्न किया जाये।
3. योजना हेतु सर्वेक्षण कार्य टोटल स्टेशन से किया जाये।
4. तलाब की मिट्टी के खुदाई की मात्रा की गणना ग्रिड प्लॉन से की जाये एवं निर्मित किये जाने वाले बन्धे में यथासम्भव समायोजित किया जाये, जिससे मिट्टी के डिस्पोज़ल पर कम से कम व्यय आये।
5. तलाब की गहराई न्यूनतम 03 मी0 रखी जाये तथा मिट्टी की खुदाई का कार्य किनारों पर तद्नुसार एंगिल ऑफ रिपोज़ के आधार पर किया जाये, जिससे मिट्टी का कटाव न्यूनतम हो। बन्धे और तालाब के किनारों पर 03 से 05 मी0 का बर्म बनाया जाये।
6. कैचमेन्ट एरिया इस प्रकार से होना चाहिए कि तालाब में सामान्य से 1/3 वर्षा होने पर भी तालाब पूरा भर जाये। भूजल रिचार्ज की गणनायें, तालाब की कैपासिटी की गणना एवं कैचमेन्ट एरिया से तालाब के स्टोरेज़ की गणना भी की जाये।
7. तालाब में इन्लेट, ऑऊटलेट एवं ऐनिमल घाट की स्पष्ट ड्रॉईंग लगाई जाये। तालाब का इन्लेट लेवल, ऑऊटलेट लेवल एवं बेड लेवल तालाब के साईट प्लॉन/क्रॉस सेक्शन पर अंकित किये जायें।
8. वृक्षारोपण का कार्य तालाब के किनारों पर अनिवार्यतः किया जाये।
9. प्राक्कलन् बनाते समय अधिशासी अभियंता द्वारा निम्नलिखित सर्टिफिकेट दिया जायेः–

Certificate by Executive Engineer

It is certified that the total station survey/contour survey in...........pond, village..............block................district...........has been done properly and computation of earth work has been done correctly.

Singnature of EE

10. दरें अधीक्षण अभियंता द्वारा अनुमोदित हों और उन्हें वृत्त स्तर पर पर्याप्त चैकिंग के बाद अंतिम रूप दिया जाये। दरों के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियंता का निम्न प्रमाण–पत्र संलग्न होना अनिवार्य है–

Certificate by Superintending Engineer

It is certified that the rates taken in .... pond, village.............. block................district...........has been taken from the schedule of rates/analysis of rates approved by the undersigned/prevalent in the district, which are correct.

Singnature of S.E

11. तालाबों का निर्माण कार्य करानें से पूर्व, निर्माण कार्य के मध्य तथा कार्यों को पूर्ण करानें के उपरान्त फोटोग्राफी एवं विडीयोग्राफी हेतु आवश्यक प्राविधान किया जायें।
12. प्राक्कलन् में योजना से सम्बन्धित डिस्प्ले बोर्ड का प्राविधान किया जाये।